Email: cswriavikanagar@yahoo.com
दूरभाष : 01437-220177 फैक्स नं. 91-01437-220163
भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान) - 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) - 304501

क्रमांक: 6(39)एसपी/96/36 दिनांक: 09.04.2020

निमित्त-

मैसर्स सुरेश धोबी पुत्र शंकर लाल धोबी,
जवाहर नगर, मालपुरा
मो0न0 9799087226

विषय : संस्थान के सरकारी कपडे धोने के कार्य को वार्षिक रेट कोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 11.03.2020 में प्रस्तुत दरों को सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया है। अतः निम्नलिखित दरों, नियम व शर्तो के आधार पर आपको कार्यादेश जारी किया जाता है।

क्र.सं.	कार्य विवरण	दर प्रति नग सभी करों एवं खर्चो सहित (रूपयों में)
1.	पलंग की निवार	रू. 20/-
2.	पलंग की दरी	रू. 10/-
3.	तौलिया छोटा	रू. 10/-
4.	तौलिया बड़ा	रू. 20/-
5.	डस्टर	रू. 05/-
6.	तकिये की खोली	रू. 15/-
7.	सूती पर्दा	रू. 20/-
8.	गर्म पर्दा	रू. 10/-
9.	सौफा सेट कवर	रू. 20/-
10.	बस/कार की सीट कवर	रू. 25/-
11.	रजाई कवर	रू. 20/-
12.	कमरों की दरी	रू. 30/-
13.	डांगरी	रू. 30/-
14.	प्रयोगशाला एप्रीन	रू. 25/-
15.	डबल बेडसीट	रू. 30/-
16.	सिंगल बेडसीट/चादर	रू. 20/-
17.	कुर्सी सीट कवर (प्रति कुर्सी)	रू. 20/-
18.	कम्बल	रू. 150/-
19.	कपड़े के झंण्डे	रू. 20/-

<u>अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें:</u>

1. *अनुबन्ध की अवधि(9.04.2020 से 08.04.2021 तक) एक वर्ष के लिए होगी। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा घटाया या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।*

नीरज 9/04/2020

अनुबन्ध कार्य शुरू करने से पूर्व रू.3000/– बतौर जमानत राशि के रूप में इस संस्थान खाते में ऑन लाईन /एफडीआर/डीडी के द्वारा सात दिवस में जमा नही कराने पर यह आदेश स्वंत निरस्त माना जाएगा।यह राशि अनुबन्ध संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त वापस कर दी जावेगी।

2. ठेकेदार/प्रतिनिधि को संस्थान परिसर में शॉपिंग कॉम्पलेक्स में दुकान का आवंटन किया जावेगा। जिसका चार्ज एवं विधुत खर्च भी स्वयं अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा। अनुबन्ध की अवधि के दौरान सस्थान की सम्पत्ति को नुकसान नहीं करेगा। यदि अनुबंध अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं अनुबन्धकर्ता द्वारा नकद करनी होगी अन्यथा उसके देय बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर जमानत राशि जब्त की जावेगी। इस सम्बंध में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
3. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
4. *अनुबन्धकर्ता को प्रत्येक सप्ताह संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/प्रयोगशालाओं से धोने के लिए कपडे लाने अनिवार्य होंगे* तथा एक सप्ताह में धोकर वापस संबंधित विभाग/अनुभाग को लौटना होगा। साथ ही प्राप्त कपडो में से यदि कोई कपडा खो जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदार अनुबन्धकर्ता की होगी तथा उसकी जो भी कीमत होगी उसे 15 दिन के भीतर–भीतर कार्यालय में जमा करवाना होगा अन्यथा देय बिल से उस राशि की कटौति कर ली जावेंगी।
5. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार में शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त की जा सकती है।
6. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
7. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–2 पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौति की जावेंगी।
8. सफल अनुबन्धकर्ता स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय प्रत्येक सप्ताह में एक बार प्रभारी, क्रय एवं भण्डार अनुभाग से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
9. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद/क्लेम पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। बाल श्रमिक कानून का भी पूर्ण पालन करना होगा।
10. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
11. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESIइत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
12. अनुबन्धकर्ता द्वारा लगाये प्रतिनिधि/कर्मी का फोटायुक्त परिचय पत्र स्वयं अनुबन्धकर्ता द्वारा सुरक्षा अनुभाग के माध्यम से बनवाकर प्रभारी, क्रय एवं भण्डार अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा। जिसका खर्चा अनुबन्धकर्ता स्वयं वहन करेगा। प्रतिनिधि/कर्मी का फोटायुक्त परिचय पत्र आवश्यक है एवं उनका नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर भी प्रभारी, क्रय एवं भण्डार को उपलब्ध करवाना होगा।
13. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्य करवा लें।

नीरज 9/04/2020

14. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी. /आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
15. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
16. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
17. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी /कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
18. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
19. इस अनुबंध में G.F.R.,2017 (Procurement of Goods and Services)में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागू होगें ।
20. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
21. ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

नीरज 9/04/2020

(नीरज तँवर)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :–

1. प्रशासन अनुभाग द्वितीय
2. वित्त एवं लेखा अनुभाग
3. भण्डार अनुभाग
4. निदेशक महोदय
5. सतर्कता अधिकारी
6. AKMU